लेख

भारत में बाल अधिकार

मारिया रोज़ारियो-चेनत्रोने

शायद कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दो साल की उस बच्ची फ़लक के बारे में सुना, पढ़ा या बात न की हो जिसने कई दिनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के मेडिकल अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिस चौदह वर्ष की युवती ने फ़लक के साथ लगातार शारीरिक हिंसा की थी जिसके कारण बच्ची को गंभीर शारीरिक चोटें आईं और वह मर गई, उसकी मां नहीं थी। वह ज़िम्मेदारियों के बोझ से दबी एक किशोरी थी जिसने अपनी छोटी उम्र में ही अनेक प्रकार हिंसाओं और पाशविकता का सामना किया था।

हम जानते हैं कि यह बच्ची इस युवती के पास जबरन छोड़ी गई थी। फ़लक की 22 वर्षीय मां को जिस्मफ़रोशी के लिए बिहार व दिल्ली में बार-बार बेचा गया। फिर राजस्थान में उसे एक आदमी के साथ दूसरी शादी करने के लिए बेच दिया गया और उसके बच्चों को अजनबियों के सहारे छोड़ दिया गया।

इस घटना के बारे में यहां बात करने का मकसद मात्र यह समझना नहीं है कि कुछ हिंसक लोगों के कारण तीन लड़कियों की ज़िंदगी नर्क बन गई। बल्कि यह हमारे देश के अनेक और युवाओं के जीवन की समस्याओं की व्यापक रूपरेखा है। फ़लक की जीवनी में वे सभी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं जिनका सम्बोधित किया जाना बेहद आवश्यक है अगर भारत अपनी शर्मनाक समस्याओं से निपटना चाहता है- बाल शोषण, बाल विवाह, बच्चों की खरीद-फरोख्त और बाल मज़दूरी।

अपने काम के माध्यम से *हक़ बाल अधिकार सेंटर* इन्हीं मुद्दों पर, जिनका विकास गरीबी और लैगिंक भेदभाव के परिप्रेक्ष में होता है, सतत काम कर रहा है। इस सच्चाई को निम्न आंकड़ों की मदद से दर्शाया जा सकता है।

लिंग अनुपातः लैंगिक भेदभाव का सबसे चौंका देने वाला पहलू गिरता लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात 0-6 व 15-19 उम्र समूह दोनों में लगातार कम हुआ है। 2001 जनसंख्या आंकड़ों में 10-19 उम्र समूह मे 225 मिलियन युवा थे- कुल जनसंख्या का 21.8 प्रतिशत। इन युवाओं में 13-19 वर्ष समूह के आंकड़े 898 (1981) से गिरकर 882 (2001) रह गये। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के वर्ष 2010 के अनुसार भारत के पांच राज्यों- मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब में स्त्री भ्रूण हत्या के 111 मामले (कुल भ्रूण हत्या मामलों का 71.2 प्रतिशत) पाए गए। हालांकि 2003 के स्त्री भ्रूण हत्या के दर्ज मामलों में गिरावट दिखाई दी है पर यह सच्चाई बौखला देने वाली है क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे कई मामले पुलिस में दर्ज नहीं किए जाते।

फ़ोटोः हक़-बाल अधिकार सेंटर

2010-11 की परिवार व स्वास्थ्य मंत्रालय की गर्भाधान व प्रसवपूर्ण निदान तकनीक कानून के कार्यान्वयन के समय

39,854 सेंटर पंजीकृत किए गए थे। फिलहाल 462 अल्ट्रासाउंड मशीनें ज़ब्त की गई हैं और 706 कानून उल्लंघन के मामले अदालत में विचाराधीन हैं। प्रमुख मामले रिकार्ड न रखने व अपंजीकृत सेंटर चलाने के हैं। भारत में लगभग एक करोड़ अवैध गर्भपात सलाना किए जाते हैं जो इस बात का संकेत है कि ये पंजीकृत व अपंजीकृत सेंटर कानूनों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं।

अन्य कार्यान्वयन तरीकों में देखें तो हर ज़िले में पीएनडीटी कानून के तहत अस्पतालों व निजी क्लीनिकों की स्त्री भ्रूण गर्भपात व तकनीकी अनियमितताओं की निगरानी नहीं की जाती। बच्चों के संग होने वाले अपराध के आकड़ों में स्त्री-भ्रूण हत्या के मामलों को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनको दर्ज करने में पुलिस की अहम भूमिका नहीं होती।

बाल विवाह

अगर कोई बच्ची पैदा हो भी जाती है तो बाल विवाह की प्रथा उसकी तकलीफ़ों में इजाफ़ा कर देती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2010 में 18 वर्ष से कम उम्र की किशोरियों को विवाह के लिए अगवा किया गया। अनेकों युवा लड़कियों को निम्न लिंग अनुपात वाले राज्यों में बालिका वधु के नाम पर बेचा जा रहा है। उत्तर-पूर्वी राज्यों से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में किशोरियां बेची जा रही हैं। राज्य अपराध रिकार्ड आंकड़ों के अनुसार 2011-12 असम से 1071 बच्चियां व 494 लड़के गायब हुए हैं।

बाल विवाह आंकड़े दर्शाते हैं कि 2010 में बाल विवाह विरोधी कानून के तहत केवल 60 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए। दूसरी ओर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 15-19 वर्ष के 6.5 प्रतिशत बच्चे विवाहित हैं।

बाल श्रमिक

भारत में विश्व के सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं। हमें उस तेरह वर्ष की घरेलू कामगार की कहानी तो याद ही होगी जिसके डाक्टर मालिक विदेश में छुट्टी मनाने गए थे। लड़की ने मीडिया को बताया कि मालिक उसे घर में

फ़ोटो: हक़-बाल अधिकार केंद्र

बंद कर गए और घर में खाने-पीने का कोई सामान नहीं था। भूख से बेहाल होकर लड़की ने शोर मचाकर पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया।

इस घटना में भी ध्यान देने योग्य अनेक मुद्दे हैं- लड़की का शोषण एक शिक्षित, व्यवसायी शहरी दम्पत्ति द्वारा किया गया था। सवाल यह है कि बाल श्रमिकों की समस्या को हम कैसे सुलझाएं जबकि हमारे समाज के इस उच्च शिक्षित वर्ग में भी बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव है? सच बात तो यह है कि बाल मज़दूरी को खत्म करने की राजनैतिक इच्छाशक्ति मौजूद ही नहीं है। बाल मज़दूरी विरोधी अधिनियम 1986 आज भी खतरनाक व गैर-खतरनाक बाल श्रम के बीच विभाजन करता है और कुछ प्रकार की मज़दूरी को वर्जित करते हुए भी किन्हीं खास तरह के कामों को मात्र नियंत्रित करता है।

बच्चों के साथ हिंसा

ठीक इसी तरह बच्चों के प्रति होने वाली कुछ शारीरिक व मनोवैज्ञानिक हिंसाओं जैसे चांटा मारना, बाल खींचना, कान मरोड़ना आदि को स्कूलों व घर में सामान्य माना जाता है। यौन शोषण वर्ग, लिंग, जाति, नस्ल से अप्रभावित हर जगह व्यापक है। अफसोस की बात तो यह है कि बाल यौन शोषण को भी सम्बोधित करते समय बलात्कार के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की हिंसा को मामूली व आम करार दिया जाता है।

बाल अधिकार व सरकारी प्रयास

60 वर्ष की संवैधानिक और बीस वर्ष की बाल अधिकार घोषणाओं के बावजूद बच्चे अपने बुनियादी अधिकारों से महरूम हैं तो फिर यह स्वभाविक ही है कि हम सरकार से पूछें कि अपने बच्चों के बेहतर जीवन और शोषण मुक्त जीवन के लिए वह क्या कदम उठा रही है?

बच्चों के अधिकारों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए और पिछले बीस वर्षों में सरकार ने बच्चों से जुड़े खास मुद्दों को सम्बोधित करने हेतु विशेष सेवाएं, कानून, इकाइयों, संस्थागत प्रणालियों का गठन भी किया है।

57 कानूनों, 60 प्रावधानों, 9 नीति दस्तावेज़, बच्चों के लिए पंचवषीय योजना में विशेष लक्ष्यों की व्याख्या, मंत्रालयों के तहत केंद्रीय सरकार की बच्चों के लिए खास स्कीमों तथा बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए मंत्रालय व राष्ट्रीय आयोग के गठन के बावजूद हमारे बच्चों की हालत में कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ा है। इन सभी प्रणालियों को मनचाहे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबल और अधिक सुचारू रूप से काम करने के लिए तैयार करना होगा।

संस्थागत इकाइयां जैसे राष्ट्रीय व राज्य महिला व बाल सुरक्षा आयोग का भी गठन हुआ है। वित्तीय और भौतिक समस्याएं इन संस्थानों की कार्यकुशलता में अवरोध पैदा करती हैं जबकि न्यायपालिका के निर्णयों के आने के साथ-साथ कानूनी कार्यान्वयन में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

इसी प्रकार विशेष कानूनों, विशेष पुलिस, कचहरी, सेवाओं तथा खास प्रणालियों और कर्मचारियों की मौजूदगी होने के बावजूद भूमिकाओं में अस्पष्टता, प्रशिक्षण और प्रलोभन की कमी तथा काम करने की मंशा का अभाव बच्चों के हक़ों के कार्यान्वयन में रूकावट पैदा करता है।

भारत में भारी तादाद में बच्चे कुपोषण का भी शिकार हैं। हमारे देश में दुनिया के सबसे अधिक बाल मज़दूर है और सबसे ज़्यादा यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। इन समस्याओं को समाधान जल्दी और सुचारू रूप से किया जाना आवश्यक है जिसके बच्चों के अधिकार महफूज़ रह सकें।

11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 में पहली बार बाल अधिकार के विकास पर एक अलग पाठ जोड़ा गया है।

फ़ोटो: हक़-बाल अधिकार सेंटर

केन्द्रीय बजट में भी बच्चों की विशेष स्कीमों के लिए अलग से पूंजी आबंटन भी किया गया है। पर यह बदलाव बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। साथ ही नीतियों का वास्तविकता में परिवर्तन एक दूर का लक्ष्य ही प्रतीत होता है।

तो फिर इन समस्याओं का समाधान क्या है?

मूल सुविधाओं के निजीकरण, विदेशी निवेश, सामाजिक खंड के खर्चों में कटौती, उपयोगी वस्तुओं पर कर लगाने या अंतर्राष्ट्रीय दाता संस्थानों से ऋण जैसे उपायों से बच्चों के अधिकार सुरक्षित नहीं होने वाले।

समय की मांग है कि सही आंकड़े और शोध के आधार पर विशेष निवेश किया जाए क्योंकि सटीक आंकड़ों की कमी अक्सर अनुचित और प्रभावहीन नियोजन का कारण बनती है।

बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों और स्कीमों के उपयोगी कार्यान्वयन के लिए उचित संसाधन मुहैया कराना भी अति आवश्यक है। *हक़ बाल अधिकार सेंटर* ने अपने शोध अध्ययन में पाया है कि बच्चों के कार्यक्रमों के लिए बहुत कम बजट आबंटन किया जाता है। पिछले दशक में केन्द्रीय बजट का कुल 4 प्रतिशत बाल कल्याण के लिए नियत किया और इसका भी ठीक से उपयोग नहीं हुआ। लिहाज़ा पूंजी व कार्यान्वयन दोनों को एक साथ मिलकर गम्भीरता से बाल कल्याण की दिशा में काम करना होगा। इसके अतिरिक्त समाज और लोगों के रवैयों, सोच और व्यवहार में परिवर्तन ही हमारे बच्चों को उनके बुनियादी हक़ दिला सकता है।

मारिया रोज़ारियो-चेनत्रोने, *हक़-बाल अधिकार सेंटर से जुड़ी हैं।*
अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क
HaQ-centre for child rights